



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221295
CG-DL-E-21082020-221295

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942

No. 205]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020

मामला सं. एडीडी-(ओ आई) 23/2020

विषय : चीन जन.गण., से “एसीटो एसीटायल डेरीवेटिव्स” जिसे एरीलाइड्स के नाम से भी जाना जाता है, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 06/28/2020-डीजीटीआर.—1. मै. लक्ष्मी आर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से “एसीटो एसीटायल डेरीवेटिव्स”, जिसे एरीलाइड्स के नाम से भी जाना जाता है (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद, या पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) “एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक यौगिक का एसीटो एसीटायल डेरीवेटिव्स” अथवा एरीलाइड्स है। एरीलाइड्स के निम्नलिखित रूप वर्तमान आवेदन के दायरे में शामिल हैं जबकि अन्य सभी रूप इससे बाहर हैं।
 - क. एसीटोएसटानिलाइड अथवा एएए;
 - ख. एसीटोएसेट-मेटा-जिलिडाइड अथवा एएएमएक्स;
 - ग. एसीटोएसेट -ओ-एनीसाइडाइड अथवा एएओए;
 - घ. एसीटोएसेट -ओ-टोलूडाइड अथवा एएओटी;
 - ड. एसीटोएसेट -ओ-क्लोरोएनीलाइड अथवा एएओसीए
4. यह उत्पाद सीमाशुल्क वर्गीकरण 29242920 और 29242990 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

5. भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

6. यह आवेदन मै. लक्ष्मी आर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक होने का दावा किया है। आवेदक ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के में दिए गए उपबंधों के अनुसार घरेलू उद्योग है।

सामान्य मूल्य

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

7. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य भारत में देय मूल कीमत को विधिवत रूप से समायोजित करके निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य को भारत में प्रदत्त या देय कीमत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ को जोड़ने के बाद विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर समायोजित किया गया है। संबद्ध वस्तु के विभिन्न किस्मों की कीमत और लागत में अंतर को देखते हुए एरीलाइड्स की प्रत्येक किस्म के लिए सामान्य मूल्य अलग से निर्धारित किया गया है।

निर्यात कीमत

8. संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, संभलाई प्रभार, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और वैट रिफंड के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।
9. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन मार्जिन के न्यूनतम सीमा से अधिक स्तरों पर होने का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में कुल आयातों, उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, और घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उनका कार्य निष्पादन उत्पादन, बिक्री, बाहजार हिस्सा, लाभ, नकद प्रवाह और नियोजित पूंजी पर गिरावट के कारण पी ओ आई के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

11. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

जांच की अवधि (पीओआई)

13. जांच अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2016 - 2017, 2017-2018, 2018 -2019 और जांच अवधि की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

14. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

15. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dir14-dgtr@gov.in और jd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
16. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
24. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
28. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2020

Case No. ADD – (OI) 23/2020

Subject : Initiation of Anti-dumping Investigation concerning imports of Aceto Acetyl Derivatives also known as Arylides from China PR

F. No. 6/28/2020-DGTR.—1. M/s. Laxmi Organics Industries Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for original anti-dumping investigation concerning imports of “Aceto Acetyl Derivatives”, also known as “Arylides” (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from the subject country and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods.

Product under Consideration

3. The product under consideration (PUC) is “Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or hetrocyclic compounds” or “Arylides”. The following forms of arylides are included within the scope of the present application whilst all other forms are excluded:
 - a. Acetoacetanilide or AAA;
 - b. Acetoacet-meta-xylylide or AAMX;
 - c. Acetoacet-o-aniside or AAOA;
 - d. Acetoacet-O-Toluidide or AAOT;
 - e. Acetoacet-O-chloroanilide or AAOCA.
4. The product is classified under customs classification 29242920 and 29242990. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

5. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry

6. The application has been filed by M/s. Laxmi Organic Industries Limited. The Applicant has claimed to be the sole producer of the subject goods in India. The Applicant has also claimed that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. On the basis of information on record, it is noted that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Normal Value**Normal Value for China PR**

7. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value on the basis price payable in India, duly adjusted. The normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. Owing to differences in price and cost of different types of subject goods, the normal value separately for each type of Arylides has been determined separately.

Export Price

8. The export price for the subject countries has been computed based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, handling charges, port expenses, bank charges, and VAT refund.
9. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows significant dumping margin above the *de minimis* in respect of the subject goods from the subject countries. There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link

10. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to total imports, production and consumption in India and price undercutting on the domestic industry. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted during the POI leading to decline in production, sales, market share, profits, cash profits and return on capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject country.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

11. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping in respect of the product under consideration originating and exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Countries

12. The subject country for the present investigation is China PR.

Period of Investigation

13. The period of investigation is from 1st April, 2019 to 31st March, 2020 (12 Months). The injury investigation period shall cover the periods 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the period of investigation.

Procedure

14. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

15. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dir14-dgtr@gov.in and jd13-dgtr@gov.in.

16. The known producers/exporters in the subject countries, their Governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below
18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.

Time Limit

19. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

21. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
23. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

29. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Special Secy. & Designated Authority